



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271732
CG-DL-E-11042026-271732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1788]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1788]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सं. 74 / 2025-26

विषय: 31 मार्च, 2026 के बाद आरओडीटीईपी स्कीम का विस्तार।

का.आ. 1857(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आरओडीटीईपी स्कीम सभी योग्य निर्यात उत्पादों के लिए अगले छह महीने की अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4 दड. में अधिसूचित दरें और मूल्य सीमाएं, जैसा भी लागू हो, 31 मार्च, 2026 को, उक्त अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।

स्कीम को नियंत्रित करने वाले अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: 01.04.2026 से 30.09.2026 की अवधि के दौरान किए गए योग्य निर्यात 31.03.2026 को लागू दरों और मूल्य सीमा के लिए आरओडीटीईपी लाभ के पात्र बने रहेंगे, जो स्कीम की मौजूदा शर्तों के अधीन हैं।

[फा. सं. 01/61/180/090/एम 26/पीसी-4]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

No. 74/2025-26

Subject: Continuation of RoDTEP Scheme beyond March 31, 2026

S.O. 1857(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment in the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme:

The RoDTEP Scheme shall continue for all eligible export products for a further period of six months with effect from April 01, 2026, to September 30, 2026.

The rates and value caps as notified in Appendix 4R and Appendix 4RE, as applicable on March 31, 2026, shall continue unchanged during the aforesaid period.

The other terms and conditions governing the Scheme shall remain unchanged.

Effect of this Notification: Eligible exports made during the period from 01.04.2026 to 30.09.2026 shall continue to be entitled to RoDTEP benefit at the rates and value caps in force as on 31.03.2026, subject to the existing terms and conditions of the Scheme.

[F. No. 01/61/180/090/AM26/PC-4]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.